न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

उपस्थितः–सुरेन्द्र मोहन सहाय, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–150/2026

Computer Registration No.1092/2026

CNR No. UPFZ010031692026

विपिन कुमार वर्मा आयु लगभग 29 वर्ष पुत्र श्री रामकुमार वर्मा निवासी ग्राम जमीना, पोस्ट हड़ाहा, थाना टिकैतनगर, जिला बाराबंकी।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी।

मु०अ०सं० 51/2026,
धारा 316(5) भा०न्या०सं०,
थाना राम जन्म भूमि, जनपद अयोध्या।

अग्रिम जमानत आदेश

1. आवेदक/अभियुक्ता **विपिन कुमार वर्मा** द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस, मु०अ०सं० 51/2026, धारा 316(5) भा०न्या०सं०, थाना राम जन्म भूमि, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

2. जमानत आवेदन पत्र में कहा गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में न दिया गया है और न ही निस्तारित हुआ है।

3. संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अभिषेक तिवारी जो कि हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एच०सी०एम०एस०पी०एल०) में शाखा प्रबंधक (ब्रांच मैनेजर) के पद पर लखनऊ शाखा (सी–56 ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ (यू.प.) 226012) में कार्यरत है, ने दिनांक 11.04.2026 को थाना राम जन्म भूमि, अयोध्या में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि वह कंपनी की ओर से इस शिकायत को दर्ज करने हेतु पूर्णतः अधिकृत है। कंपनी बैंकों को एटीएम, नकद प्रबंधन और पुनः पूर्ति (कैश रिप्लेसमेंट) रिप्लेसमेंट) की सेवाएं प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत नकदी की पूर्ण सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। दिनांक 26.02.2026 को लखनऊ शाखा के क्षेत्राधिकार में आने वाले एस०बी०आई० एटीएम (आईडी: टीबी000075036), जो श्री जगन्नाथ मंदिर, फैजाबाद के निकट स्थित है, में 5,00,000/– (पाँच लाख रुपये) की एक गंभीर नकद विसंगति और गबन का मामला प्रकाश में आया है। **इस एटीएम के नकद लोडिंग और प्रबंधन का उत्तरदायित्व कंपनी द्वारा प्रथम कस्टोडियन बैजनाथ** (एमपी आईडी: सेम 040959), पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी ग्राम धनकोर धमतुआ. कुमारगंज, अयोध्या और द्वितीय कस्टोडियन **विपिन कुमार (एमपी आईडी: डेम 005233)**, पुत्र श्री राम कुमार, निवासी ग्राम जमीना, टिकैत नगर, बाराबंकी को सौंपा गया था। आंतरिक ऑडिट और तकनीकी जांच (एज एनालिसिस) के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि इन दोनों कस्टोडियन ने सोची–समझी साजिश के तहत अपराध को अंजाम दिया है। आरोपियो ने एटीएम के डिजिटल काउंटर और स्विच रिकॉर्ड में छलपूर्वक

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2026.06.20 16:39:54 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

14,00,000/– की लोडिंग दर्ज की, ताकि सिस्टम को यह विश्वास दिलाया जा सके कि पूरी राशि मशीन में हाल दी गई है, जबकि वास्तविकता में भौतिक रूप से केवल 9,00,000/– ही लोड किए गए थे। शेष 5,00,000/– की राशि आरोपियो ने अपनी व्यक्तिगत कस्टडी में रखकर गबन कर ली। पूछताछ के दौरान आरोपियो ने यह तर्क देकर मामले को गुमराह करने का प्रयास किया कि उन्होंने यह राशि बैंक को नोट बदलने (एक्सचेंज) के लिए दी थी, परंतु जांच में इस दावे के समर्थन में न तो कोई बैंक रसीद प्राप्त हुई और न ही यह राशि कंपनी के आधिकारिक वल्ट या खाते में वापस जमा की गई, जो उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे और आपराधिक विश्वासघात को प्रमाणित करता है।

4. आवेदक की ओर से तर्क किया गया है कि वे निर्दोष हैं। कोई गवाह नहीं है, जिसने घटना को देखा हो। आवेदक उक्त कम्पनी में द्वितीय कस्टोडियन के रूप में कार्य करता है। ब्रान्च मैनेजर के द्वारा सी०सी०टी०वी० नहीं दिखाया गया। विवेचक पकड़कर जेल भेजने की धमकी दे रहा है। विवेचना में सहयोग करेगा। अग्रिम जमानत की याचना की गई है।

5. विद्वान ए०डी०जी०सी०क्रिमिनल द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि बैजनाथ व विपिन कुमार दोनों ने एटीएम के डिजिटल काउंटर और स्विच रिकॉर्ड में छलपूर्वक 14,00,000/– की लोडिंग दर्ज की, ताकि सिस्टम को यह विश्वास दिलाया जा सके कि पूरी राशि मशीन में डाल दी गई है, जबकि वास्तविकता में भौतिक रूप से केवल 9,00,000/– ही लोड किए गए थे। शेष 5,00,000/– की राशि आरोपियो ने अपनी व्यक्तिगत कस्टडी में रखकर गबन कर ली। दोनों आरोपियों ने साथ मिलकर उक्त आपराधिक अपराध कारित किया है। आवेदक ने स्वयं अपने जमानत आवेदन पत्र में कस्टोडियन होना स्वीकार किया है। प्रकरण आपराधिक अपराध से संबंधित है। अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

6. सुना और अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पर सह अभियुक्त बैजनाथ के साथ मिलकर, हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में द्वितीय कस्टोडियन के पद पर कार्यरत रहते हुए एटीएम के डिजिटल काउंटर और स्विच रिकॉर्ड में छलपूर्वक 14,00,000/– की धनराशि की लोडिंग दर्ज करने ताकि सिस्टम को यह विश्वास दिलाया जा सके कि पूरी राशि मशीन में डाल दी गई है, जबकि वास्तविकता में भौतिक रूप से केवल 9,00,000/– ही लोड करते हुए, शेष 5,00,000/– का गबन का आरोप है। पुलिस द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है कि अभियुक्त लगातार अपनी स्थिति छुपाते हुए गिरफ्तारी से बच रहा है। आरोप अधिकतम आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत दिये जाने के लिए आधार पर्याप्त नहीं हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **विपिन कुमार वर्मा** द्वारा मु०अ०सं० 51/2026, धारा 316(5) भा०न्या०सं०, थाना राम जन्म भूमि, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः20.06.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code–U.P6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या